भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **938** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **22 जुलाई**, 2022/31 आषाढ़, 1944 (शक) को दिया जाना है

सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएँ

†938. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी :

श्री मनोज कोटक :

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी :

श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा :

श्री श्रीधर कोटागिरी :

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे :

श्री मद्दीला गुरुमूर्ति :

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ :

श्री पी.वी.मिधुन रेड्डी :

श्री एन. रेड्डप्प :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही विभिन्न परियोजनाओं की आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार, संघ राज्यक्षेत्र-वार, परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, परियोजना-वार आबंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार का देश भर में सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत नई परियोजनाओं को मंजूरी देने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है ताकि तटीय क्षेत्रों/क्षेत्रों का विकास किया जा सके और यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं का त्वरित और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **(अनुबंध-I)** के रूप में संलग्न है।

(ख): सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय को महापत्तनों पर और तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सागरमाला कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप परियोजनाओं के लिए बजट प्राक्कलन 2022-23 के स्तर पर 412.79 करोड़ रु. की निधियां आबंटित की गई हैं। सागरमाला कार्यक्रम/राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत परियोजनाओं की पहचान वर्ष 2015-2035 के दौरान कार्यान्वित करने के लिए की गई है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा **(अनुबंध-II)** में दिया गया है।

(ग): सागरमाला कार्यक्रम पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत की 7,500 कि.मी. लंबी तटरेखा, नौचालन संभावित 14,500 कि.मी. जलमार्गों तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम व्यापार मार्गों पर रणनीतिक अवस्थिति का लाभ उठाते हुए देश के पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देना है। सागरमाला कार्यक्रम के भाग के रूप में लगभग 5.5 लाख करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 800 से अधिक परियोजनाएं, वर्ष 2015 से 2035 के दौरान कार्यान्वित करने के लिए चिन्हित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, तटीय जिलों के समग्र विकास के उद्देश्य के तहत लगभग 58,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली कुल 567 परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं।

(घ): मंत्रालय ने मैरीटाइम क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 1997 में एक शीर्ष निकाय के रूप में मैरीटाइम राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) का गठन किया है। इसका उद्देश्य, राज्य सरकारों के परामर्श से महापत्तनों और गैर-महापत्तनों का विकास सुनिश्चित करना, संबंधित मैरीटाइम राज्यों द्वारा या तो सीधे अथवा कैप्टिव प्रयोक्ताओं के माध्यम से और निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए मौजूदा और नए लघु पत्तनों का भावी विकास करना है। अब तक एमएसडीसी की सत्रह (17) बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल द्वारा सागरमाला परियोजना के लिए संस्थागत ढांचे का अनुमोदन किया गया है। इस ढांचे के शीर्ष पर समग्र नीतिगत मार्गदर्शन और उच्च स्तरीय समन्वय के लिए तथा योजना और परियोजनाओं की योजना बनाने एवं कार्यान्वयन संबंधी पहलू की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की परिकल्पना की गई है। इस समिति को नीति निर्देशन, पहल समाविष्ट करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने तथा मैरीटाइम योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

अनुबंध-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पत्तन आधुनिकीकरण	पत्तन संपर्कता	पत्तन आधारित औद्योगीकरण	तटीय नौवहन एवं आईडब्ल्यूटी	तटीय समुदाय विकास	परियोजनाओं की कुल लागत (करोड़ रु. में)
	परियोजनाओं की संख्या					
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6			47	5	7619
आंध्र प्रदेश	30	48	10	14	11	116886
असम		4		6		694
बिहार		1		1		13
छत्तीसगढ़		1				207
दमन और दीव	2					92
गोवा	8	9	1	15	4	9387
गुजरात	36	16	2	14	7	56984
झारखंड		1		2		448
कर्नाटक	18	13		17	6	15815
केरल	15	18	2	16	10	14993
लक्षद्वीप				16	1	964
महाराष्ट्र	30	24	2	60	14	105437
ओडिशा	16	26	2	4	5	54394
पुदुच्चेरी	3			3	1	751
राजस्थान		1				102
तमिलनाडु	44	35	12	9	10	146502
तेलंगाना		2				102
उत्तर प्रदेश		1		3		720
उत्तराखंड		1				120
पश्चिम बंगाल	31	16	2	9	3	12883

अनुबंध-II

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	टी.पी.सी. (करोड़ रु. में)	सागरमाला से मंजूर की गई निधियां (करोड़ रु. में)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8	214	214
आंध्र प्रदेश	13	1533	329
दमन और दीव	2	92	46
गोवा	8	203	95
गुजरात	10	1535	831
कर्नाटक	15	967	338
केरल	8	308	108
महाराष्ट्र	48	2225	901
ओडिशा	5	318	138
पुदुच्चेरी	2	51	51
तमिलनाडु	18	1145	451
पश्चिम बंगाल	8	486	151
कुल	**145**	**9077**	**3653**

*****